स्वी०आ०सं०–5 / यो० / जला० / अधियाचना(राँची) / 09 / 2017 / न०वि०आ० 239

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

TSP
अनुदान

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक– 19/01/18

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 में राँची नगर निगम पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, बूटी, रांची क्षेत्रांतर्गत चेशायर होम गेट से श्रीमती कान्ति सिन्हा के घर तक जलापूर्ति पाईप लाईन विस्तारीकरण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल रू० 2,24,134/–(दो लाख चौबीस हजार एक सौ चौंतीस रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, बूटी, रांची क्षेत्रांतर्गत चेशायर होम गेट से श्रीमती कान्ति सिन्हा के घर तक जलापूर्ति पाईप लाईन विस्तारीकरण हेतु राँची नगर निगम को कुल रू० 2,24,134/–(दो लाख चौबीस हजार एक सौ चौंतीस रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में मांग संख्या–48 के अधीन मुख्य शीर्ष–2215 जल पूर्ति तथा सफाई–उप मुख्यशीर्ष–01–जल पूर्ति–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–01–पेयजल जलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन), विपत्र कोड–48S221501796010679 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त, रांची नगर निगम होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनिवार्य रूप से रांची कोषागार से की जाएगी।

4. उक्त पाईप लाईन विस्तारीकरण हेतु राशि रू० 2,24,134/– (दो लाख चौबीस हजार एक सौ चौंतीस रूपये) मात्र के प्राक्कलन प्रस्ताव की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल, रांची द्वारा प्रदत्त है।

5. स्वीकृत राशि का व्यय कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल, रांची द्वारा प्रदत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के अनुसार ही किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में योजना का विचलन नहीं किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, रांची नगर निगम आवश्यकता अनुसार कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल, रांची को राशि हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेंगे।

Sunanda/E/Sanction Order-103

7. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष 2015–16 में रांची नगर निगम को उक्त मद में कोई राशि निर्गत नहीं की गई है। अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र विवरणी शून्य है।

8. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र कोषागार में कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप संबंधित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायगा।

9. विपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित करना अनिवार्य होगा कि पूर्व के वर्षों में निकासी की गई संपूर्ण राशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया गया है जिन मदों के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

10. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी झारखण्ड वित्तीय नियमावली नियम–340–343/कोषागार संहिता के नियम–300 एवं संगत परिपत्रों के अनुसार की जायेगी तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दि०–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों की जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दि०–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अरूण कुमार सिंह) 18.1.18
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/यो०/जला०/अधियाचना(राँची)/09/2017/न०वि०आ०....239....राँची, दिनांक–....19/01/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना– सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, रांची/नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त, रांची नगर निगम/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल, रांची/कोषागार पदाधिकारी, रांची कोषागार/श्री कुणाल, सी०एम०एम० को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक को ऑनलाईन आवंटन हेतु/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.18
सरकार के प्रधान सचिव।